संख्या-30/2021/981/77-3-2021-139(एम)/2020

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर एवं हापुड।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 27 मई, 2021

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना (मेरठ से प्रयागराज तक) से आच्छादित जनपदों हेतु भूमि अधिग्रहण/क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-215/यूपीडा/गंगा/1916/2020 दिनांक 12.05.2021 में किये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-09-गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ)-60-भूमि क्रय'' मद में प्राविधानित धनराशि रू. 2200.00 करोड़ में से परियोजना से आच्छादित जनपदों के जिलाधिकारियों यथा-जिलाधिकारी-बुलन्दशहर को रू0 27.50 करोड़ एवं जिलाधिकारी-हापुड को रू0 300.00 करोड अर्थात् कुल रू0 327.50 करोड़ (रू0 तीन सौ सत्ताइस करोड़ पचास लाख मात्र) निर्गत कर उनके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त निर्गत धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, बुलन्दशहर एवं हापुड के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

(3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, बुलन्दशहर एवं हापुड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-1375/ दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 तथा इस संबंध में जारी शासनादेश संख्या-2/ 2021/बी-3-138/दस-2021-100(4)/2021 दिनांक 10.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक/पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखा जायेगा।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-09-गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ)-60-भूमि क्रय'' के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-1375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-30/2021/981(1)/77-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. मुख्य, वरिष्ठ व कोषाधिकारी, जनपद-बुलन्दशहर एवं हापुड।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त (ई) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार सिंह)
अनु सचिव।